

संपादकीय

विदेशी दरवाजे संकुचित

श्रमिक निर्यातच की नीति दरअसल देश में रोजगार सृजन की विफलता को ढकने की कोशिश रही है। इस बीच अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आग्रजक विरोधी मुद्दों के प्रमुखता पाने से इस मॉडल के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। सूत्रों आगाह किया है कि भारत श्रमिकों के निर्यात के जिस मॉडल को आगे बढ़ा रहा था, उसकी सीमा अब आ गई है। सूत्रों ने इस मॉडल की तुलना चीन के कारखाना उत्पादों की आक्रामक निर्यात नीति से की है, जिसे अब पश्चिम में श्वाइना शॉक 2.0व कहा जा रहा है, और जिसको लेकर पश्चिमी देश अब जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि उसी तर्ज पर इंडिया शॉकच को राजनीतिक एवं आर्थिक चुनौतियां मिलनी शुरू हो गई हैं। इस आकलन के मुताबिक इंडिया शॉकच जल्द ही वैश्विक प्रतिरोध की दीवारच से टकरा सकता है। आरंभ में श्रम निर्यातच को भारत की विकास रणनीति के रूप में देखा गया। देश के अंदर बेरोजगारी का दबाव घटाने, विदेशी मुद्रा हासिल करने, और यहां तक कि कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिहाज से अल्पकाल में यह नीति मददगार रही। यह निर्विवाद है कि भारत में युवा श्रमशक्ति की अधिक्ता है। उन तत्काजों के मुताबिक रोजगार पैदा नहीं हुए हैं। इस पृष्ठभूमि में भारतीय कर्मियों को जर्मनी, जापान, इजराइल, खाड़ी देशों आदि में रोजगार दिलाने की सरकारी नीति का औचित्य समझा जा सकता है। बाहर से कमा कर भेजी गई रकम से ना सिर्फ संबंधित व्यक्ति के परिवार की माली हालत सुधरती है, बल्कि देश के लिए विदेशी मुद्रा का वह प्रमुख स्रोत भी है। बहरहाल, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि यह नीति असल में देश में रोजगार सृजन की विफलता को ढकने की कोशिश रही है। इस बीच अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आग्रजक विरोधी मुद्दों के प्रमुखता पाने से इस मॉडल के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। यूरोप, अमेरिका, और यहां तक कि खाड़ी देशों में भी आग्रजक— विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। ईरान युद्ध ने पश्चिम एशिया में नया संकट खड़ा किया है। इसलिए अब इस नीति पर पुनर्विचार का वक्त आ गया है। यह समझने की जरूरत है कि अपनी अर्थव्यवस्था का आधार व्यापक किए बिना देश और यहां के आवाम की खुशहाली का कोई ठोस एवं स्थायी विकल्प नहीं है। जब विदेशी दरवाजे संकुचित हो रहे हों, तब तो यही एकमात्र रास्ता रह जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्याय और सुरक्षा को सुदृढ़ करना एक संवैधानिक गारंटी

रामदास अठावले
एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की नींव इस विश्वास पर टीकी होती है कि प्रत्येक नागरिक गरिमा, समानता और सुरक्षा के साथ जीवना व्यतीत कर सके। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस सबैधानिक प्रतिबद्धता को साकार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अत्याचारों की रोकथाम, पीड़ितों की सुरक्षा और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसके तहत कानूनों में संशोधन, राहत एवं पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था, विशेष न्यायालयों की स्थापना, शिकायत निवारण तंत्र और राय्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने जैसे कदम उठाए गए हैं। इस व्यवस्था का प्रमुख आधार नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 हैं। इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, ताकि जाति आधारित अत्याचारों पर अंकुश लगाया जा सके और पीड़ितों को न्याय, राहत तथा पुनर्वास उपलब्ध कराया जा सके। कानूनों में संशोधन से बढ़ा संरक्षण का दायरा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में 26 जनवरी 2016 से प्रभावी संशोधनों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इनका उद्देश्य अत्याचार से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और पीड़ित समुदायों को उपलब्ध कानूनी संरक्षण का विस्तार करना था। संशो्दानों के तहत मामलों की सुनवाई के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। साथ ही, अत्याचार के कई नए प्रकारों को कानून के दायरे में शामिल किया गया। पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को भी अधिक प्रभावी बनाया गया। इन बदलावों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि न्याय की प्रक्रिया केवल प्राथमिकी दर्ज करने और मुकदमे की सुनवाई तक सीमित न रहे, बल्कि पीड़ितों की सुरक्षा, गरिमा और पुनर्वास को भी समान महत्व मिले। इसके बाद 14 अप्रैल 2016 को अधिनियम से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया। इसके तहत अत्याचार के 47 प्रकार के अपराधों के लिए निर्धारित राहत राशि बढ़ाई गई। साथ ही, पीड़ितों और उनके आश्रितों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। प्राथमिकी दर्ज करने और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में बदलाव कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में 20 अगस्त 2018 को एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इसके तहत अधिनियम के अंतर्गत अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। इसके अतिरिक्त, कानून के तहत आरोपी की गिरफ्तारी से पहले अनुमति लेने की आवश्यकता भी हटा दी गई। इन बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रक्रियागत औचित्यकरताएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने, जांच करने और अभियोजन चलाने में बाधा न बनें। इससे पहले 27 जन 2018 को अधिनियम से संबंधित नियमों में भी संशोधन किया गया था। इसके तहत मृत्यु, चोट, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, तेजाब हमले, संपत्ति को नुकसान और कानून के दायरे में आने वाले अन्य अपराधों के मामलों में राहत संबंधी प्राधान्यों को मजबूत किया गया। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 217 विशेष न्यायालय अत्याचार से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई और प्रभावी निस्तारण के लिए विशेष न्यायिक व्यवस्था विकसित की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 217 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जिन जिलों में ऐसे मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, वहां संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में ऐसे मामलों को विशेष न्यायिक तंत्र तक पहुंच उपलब्ध कराना है। र्संबलच हेल्पलाइन से शिकायत निवारण को बढ़ावा कानूनी संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए नागरिकों में अधिकारों के प्रति जागरूकता और सहायता तक आसान पहुंच भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से 13 दिसंबर 2021 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों से संबंधित राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की गई, जिसे बाद में र्संबलच नाम दिया गया। इस हेल्पलाइन के लिए टोल-फ्री नंबर 1800–202–1989 और संक्षिप्त नंबर 14566 निर्धारित किए गए हैं। इनके माध्यम से लोगों को अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी, मार्गदर्शन और शिकायत निवारण व्यवस्था तक पहुंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

विचार

राहुल गांधी को दोढ़क जवाब देकर सीजेआई संजय क्रंत ने न्यायिक मर्यादा की लाज रख ली

नीरज
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गठबंधन के नेताओं को मिलने का समय देने से इनकार कर दिया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, कथित 'वोट चोरी' और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाध्ा चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों को



लेकिन सीजेआई ने साफ कर दिया कि जिन विषयों पर विपक्ष हस्तक्षेप चाहता है, वे न्यायालय में पहले से विचाराधीन हैं। ऐसे मामलों में

आन्दोलन वही, जो

ललित
लोकतंत्र में असहमति उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी जीवंतता का प्रमाण है। सरकार से सवाल पूछना, नीतियों का विरोध करना और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना नागरिक स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा केवल इस बात से नहीं होती कि विरोध करने की कितनी स्वतंत्रता है, बल्कि इससे भी होती है कि उस स्वतंत्रता का उपयोग किस उद्देश्य, किस भाषा और किस पद्धति से किया जा रहा है। किसी आंदोलन का मुद्दा कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, यदि उसका नेतृत्व दिशाहीन हो जाए, भाषा उत्तेजक बन जाए और पद्धति हिंसा अथवा अराजकता की ओर बढ़ने लगे, तो उसका नैतिक आधार कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए आज देश के सामने प्रश्न केवल आंदोलनों का नहीं, बल्कि उनके चरित्र, विश्वसनीयता और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का भी है। दिल्ली में हाल के विरोध प्रदर्शनों और उन पर प्रशासन की सख्ती के बाद सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने एक बार फिर लोकतंत्र की सीमाओं और अधिकारों पर बहस छेड़ दी है। एक ओर शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों का अधिकार है, तो दूसरी ओर सार्वजनिक व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करना शासन का दायित्व है। इन दोनों के बीच संतुलन ही संवैधानिक लोकतंत्र की पहचान है। न तो सरकार को कानून-व्यवस्था के नाम पर

चुनावी लोकतंत्र बहाल करने

के रवींद्रन
सरकार का खुद को संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था के साथ इस तरह जोड़कर देखना बेहद चिंताजनक है। चुनाव आयोग न तो कार्यपालिका का कोई हिस्सा है और न ही सत्ताधारी पार्टी के प्रति जवाबदेह कोई प्रशासनिक विभाग। इसकी स्वतंत्रता एक जरूरी सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करने वाले लोग उन हालात में हेरफेर न कर सकें जिनके तहत वह सत्ता दोबारा हासिल की जाती है।नख्खे देखें भारत का चुनावी लोकतंत्र एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है जहां न्यायिक दखल सिर्फ प्रक्रिया की जांच और चिंता जताने तक सीमित रह सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बढ़ता विवाद, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसएसआईआर) के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाना, और जन-विरोध प्रदर्शनों पर सरकार का लगातार सख्त रवैया— इन सबने एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है जिसके लिए असंधारण कदम उठाने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निगरानी में इस विवादित प्रक्रिया को आगे बढ़ने की इजाजत दी थी, इसलिए अब यह सुनिश्चित करने की उसकी ही खास जिम्मेदारी है कि कहीं उसकी मंजूरी

प्रशासनिक स्तर पर निर्देश देने के बजाय विपक्ष को न्यायिक प्रक्रिया के तहत याचिका दायर करनी पी और गठबंधन के नेताओं को मिलने का समय देने से इनकार कर दिया है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी नागरिकों के लिए चौबीसों घंटे खुले हैं। मुख्य न्यायाधीश का यह रुख ऐसे समय सामने आया है, जब राहुल गांधी और गठबंधन चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों को

लेकर सरकार तथा चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की मांग थी कि प्रक्रिया रोकी जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त

ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और कथित चुनावी अनियमितताओं की जांच हो। राहुल गांधी ने 12 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च करने का आह्वा‍न करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई बताया। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों से पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार पर असर पड़ रहा है। देखा जाये तो इस घटनाक्रम को समझने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विपक्ष की हालिया मुलाकात भी महत्वपूर्ण है। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं पर चिंता जताई थी। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनसे आरोपों के समर्थन में सबूत मांगे हैं और विपक्ष प्रमाण प्रस्तुत करने को तैयार है। राहुल गांधी ने संकेत दिया था कि राष्ट्रपति ने वोट चोरी के आरोप को एक तरह से सही माना है। हालांकि बाद में सूत्रों के हवाले से आई खबर के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय ने राहुल गांधी के बयान और दावे पर

भी

भी यदि आलोचना को शत्रुता समझने लगे, तो लोकतांत्रिक संवाद की संभावनाएं संकुचित हो जाती हैं। आंदोलन की साख उसके मूल उद्देश्य एवं भरोसे से बनती है। जिस मुद्दे को लेकर लोग एकत्र होते हैं, उसकी स्पष्टता, तथ्यात्मक प्रामाणिकता और समाधान की दिशा आंदोलन को विश्वसनीयता निर्धारित करती है। जब मूल प्रश्न पीछे छूट जाता है और राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अथवा जान के लिए खड़े हो रहे हैं, अथवा जनता के असंतोष को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का साधन बनाया जा रहा है? यह प्रश्न किसी एक दल या संगठन तक सीमित नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सामाजिक संगठन हों या जनसमूह, सभी को अपने आचरण की कसौटी संविधान, नैतिकता और जनहित को बनाना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, कमियों को सामने लाता है और जनहित के मुद्दों को राजनीतिक विमर्श में स्थान देता है। लेकिन विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, संभावनाओं पर बहस छेड़ दी है। यदि हर असहमति को सत्ता के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष में बदलने का प्रयास किया जाए, हर प्रशासनिक निर्णय को राजनीतिक पडरुंध बनाया जाए और प्रत्येक जनसमस्या को व्यापक अव्यवस्था का प्रतीक बना दिया जाए, तो वास्तविक मुद्दे शोर में खोने लगते हैं। इसी तरह सरकार

के लिए सर्वोच्च न्यायालय को निर्णायक कदम उठाने होंगे

उन्हें सार्वजनिक जवाबदेही से बचाने के लिए ज़्यादा तत्पर दिखती है, तो संस्थागत अंतर खतरनाक रूप से ंपारंपरिक दायरे से काफी आगे निकल चुका है। विश्‍ले‍ष‍ी दल, नागरिक समाज संगठन और युवा आंदोलन न सिर्फ इस संस्था की विश्‍वसनीयता पर भी जोर सवाल खड़े कर रहे हैं। 10 अक्टूबर पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि खुद इस संस्था की विश्‍वसनीयता पर भी जोर सवाल खड़े कर रहे हैं। 10 अक्टूबर के प्रदर्शनों से पहले नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना, सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगाना और हजारों सुरक्षाकर्मियों की तैनाती ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव आयोग की आलोचना को अपनी सत्ता के लिए चुनौती मानती है।सरकार का खुद को संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था के साथ इस तरह जोड़कर देखना बेहद चिंताजनक है। चुनाव आयोग न तो कार्यपालिका का कोई हिस्सा है और न ही सत्ताधारी पार्टी के प्रति जवाबदेह कोई प्रशासनिक विभाग। इसकी स्वतंत्रता एक जरूरी सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करने वाले लोग उन हालात में हेरफेर न कर सकें जिनके तहत वह सत्ता दोबारा हासिल की जाती है। जब सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ शिकायतों को दूर करने के बजाय

अप्रसन्नता जताई। दूसरी ओर, राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मुख्य न्यायाधीश से मिलने की कोशिश और फिर उनका इनकार विपक्ष की रणनीति के लिए एक अहम घटनाक्रम है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे चाहते थे कि वे अपनी चिंताओं को सीधे सीजेआई के सामने रखें। लेकिन न्यायपालिका का काम राजनीतिक प्रतिनिधि‍मंडलों के ज्ञापन पर प्रशासनिक निर्देश देना नहीं, बल्कि विधि‍सम्मत याचिकाओं पर सुनवाई करना और कानून के अनुसार फैसला देना है। सीजेआई के रुख का यही संस्थागत अर्थ है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी का सर्वोच्च अदालत तक मार्च निकालने का फैसला सीधे सीधे अराजकता फैलाने का प्रयास है। राहुल गांधी बार बार संविधान का हवाला देते हैं लेकिन संविधान की संरक्षक राष्ट्रपति के बारे में झूठ बोलते हैं, संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण स्थल सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानते, ऐसे में सवाल उठता है कि उनकी असल मंशा क्या है? यही नहीं, ईवीएम पर बार बार सवाल उठाने

भी

मापी जानी चाहिए कि कितनी सड़कें बंद हुईं, कितने लोग एकत्र हुए या कितने दिनों तक विरोध चला। उसकी सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि उसने किस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया, जनजीवन स्पष्टता, तथ्यात्मक परिवर्तन लाया और समाज में संवैधानिक चेतना को कितना मजबूत किया। वर्तमान समय में इंटरनेट मीडिया ने जनमत निर्माण की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब कोई घटना कुछ ही मिनटों में व्यापक बहस का विषय बन सकती है। यह लोकतंत्र के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि इससे आम नागरिकों को अपनी बात रखने और प्रशासन से जवाब मांगने का मंच मिला है। लेकिन यही माध्यम भ्रामक सूचनाओं, अधूरे तथ्यों, भावनात्मक अभियानों और अपुष्ट आरोपों को भी तेजी से प्रसारित कर सकता है। हैशटैग, वायरल वीडियो और ऑनलाइन समर्थन अपने आप में किसी आंदोलन की नैतिक प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं हैं। किसी आरोप की गंभीरता का निर्धारण उसके प्रमाणों से होना चाहिए, उसकी लोकप्रियता से नहीं। यदि आंदोलनकारी तथ्यों की पुष्टि किए बिना आरोप लगाते हैं, तो वे अपने ही उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार प्रशासन का दायित्व है कि वह आलोचनात्मक आवाजों को केवल इसलिए संदिग्ध न माने कि वे सरकार के विरुद्ध हैं। पारदर्शिता, तथ्यपरक संवाद और निष्पक्ष जांच ही अविश्वास को दूर

वाले कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को हाल में असम और हिमाचल प्रदेश में बेल्ट पेपर से कराए गए नगर निगम चुनाव में भी करारा झटका लगा है। इसलिए राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं को समझना होगा कि गड़बड़ चुनावी व्यवस्था में नहीं विपक्षी पार्टियों की नीतियों और नीयत पर है, उनकी विश्‍वसनीयता पर है। देखा जाये तों विवाद केवल राजनीतिक दलों के बीच टकराव नहीं है। मतदाता सूची की शुद्धता चुनाव की विश्‍वसनीयता के लिए जरूरी है। चुनाव आयोग का पक्ष है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य सूची को दुरुस्त करना है। विपक्ष इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और संभावित प्रभाव पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष चुनावी संस्थाओं की विश्‍वसनीयता को राष्ट्रीय राजनीतिक विकास और अपने नीतिगत प्रदर्शन को सामने रख कर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बहरहाल, सीजेआई का इनकार इस पूरे विवाद में एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत घटनाक्रम है। विपक्ष

भी

करने के प्रभावी उपाय हैं। आज युवाओं के पास डिजिटल तकनीक, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक सहभागिता के अनेक अवसर हैं। उनकी ऊर्जा केवल विरोध तक सीमित न रहे, बल्कि समाधान निर्माण में भी लगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन हो तो पारदर्शिता के व्यावहारिक उपयोग सामने आएं, चुनावी सुधारों की मांग हो तो प्रमाण आधारित सुझाव प्रस्तुत किए जाएं, प्रशासनिक अन्याय का प्रश्न हो तो कानूनी और संस्थागत रास्तों को मजबूत किया जाए। विरोध की सार्थकता तब बढ़ती है, जब वह किसी बेहतर व्यवस्था की कल्पना और निर्माण का आधार बनता है। जनांदोलनों के संदर्भ में विदेशी शक्तियों की भूमिका पर भी चर्चा होती रही है। यह स्वाभाविक है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में राष्ट्रीय हितों, बाहरी प्रभावों और सूचना के प्रवाह को लेकर सतर्कता बरती जाए। लेकिन इन विषय पर भी भावनाओं अथवा आशंकाओं के बजाय प्रमाणों के आधार पर बात होनी चाहिए। किसी आंदोलन में सरकार की आलोचना होने मात्र से उसे विदेशी पडरुंध का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार यदि किसी गतिविधि में अविश्वास बढ़ेगा? केवल मुद्दा सही होना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए सही नेतृत्व, सही भाषा, सही पद्धति और सही लक्ष्य भी आवश्यक हैं। आंदोलन का उद्देश्य केवल किसी व्यवस्था को चुनौती देना नहीं, बल्कि उससे बेहतर व्यवस्था के निर्माण में योगदान करना होना चाहिए। जो आंदोलन समाज को विवेक, अनुशासन, न्याय और रचनात्मकता की दिशा देता है, वही इतिहास में स्थायी स्थान प्राप्त करता है। भारत का भविष्य ऐसे ही लोकतांत्रिक चिंतन में सुरक्षित है, जहां असहमति को सम्मान मिले, सत्ता जवाबदेह रहे, विपक्ष रचनात्मक बने और राष्ट्रहित का अर्थ नागरिक स्वतंत्रता तथा संवैधानिक मर्यादा के समन्वय में खोजा जाए।

के लिए सर्वोच्च न्यायालय को निर्णायक कदम उठाने होंगे

की खबरों के आधार पर कुमार को निलंबित करने से इन्कार कर दिया। फिर भी, उसने आयोग और अन्य पक्षों से जवाब मांगा और संकेत दिया कि कानूनी जरूरतों के खिलाफ पाए गए फैसलों पर रोक लगाई जा सकती है या उन्हें रद्द किया जा सकता है। घटनाओं ने ऐसी जांच को जरूरी बना दिया है। ये आरोप कि ज्ञानेश कुमार ने बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एसआईआर से जुड़े अहम फैसले लिए, सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर बुनियादी सवाल उठाते हैं। तीन सदस्यीय आयोग के भीतर मतभेदों की खबरों ने उन फैसलों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लिए आधार दिया है जो कथित तौर पर एकरतफा लिए गए थे। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं, तो ये प्रशासनिक मतभेदों से कहीं ज़्यादा गंभीर बात की ओर इशारा करेंगे। ये उन संस्थागत सुरक्षा उपायों के संभावित टूटने का संकेत देंगे जिनका मकसद चुनावी अधिकार को एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने से रोकना था। सर्वोच्च न्यायालय की 5 अक्टूबर की कार्रवाई में इन आरोपों की गंभीरता और बिना पक्के सबूतों के मंजूरी देने में अपनाई गई प्रक्रियाएं की हिवकिचाहत, दोनों ही बातें दिखीं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अ्थ यक्षता वाली बेंच ने सिर्फ अखबारों

करने और सार्थक दखल से पीछे हटने के बीच का अंतर अब न्यायालय के नजदिए का आधार बनना चाहिए।तुरंत जरूरत इस बात की है कि आयोग के अंदरूनी रिकॉर्ड की पारदर्शी हो जाए, जिसमें विवादित फैसले, दर्ज आपत्तियां और एसआईआर को मंजूरी देने में अपनाई गई प्रक्रियाएं शामिल हों। न्यायिक जांच से यह पता चलना चाहिए कि क्या आयोग ने मिलकर काम किया, क्या अलग राय

को समझना होगा कि अंतिम फैसला राजनीतिक नारां या मुलाकातों से नहीं, बल्कि आंदोलों के सामने प्रस्तुत तथ्यों और प्रमाणों से तय होगा। साथ ही मुख्य न्यायाधीश का विपक्षी नेताओं को मुलाकात का समय देने से इनकार करना संस्थागत मर्यादा बनाए रखने के लिहाज से उचित कदम माना जा सकता है। यदि राजनीतिक दल अपनी मांगों और आरोपों के आधार पर सीधे सीजेआई से मुलाकात कर न्यायिक हस्तक्षेप की अपेक्षा करने लगें, तो भविष्य में दूसरे दल भी इसी परंपरा का सहारा ले सकते हैं। इससे न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिशों को बढ़ावा है। विपक्ष और निष्पक्षता को लेकर अनावश्यक सवाल उठने की आशंका रहेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल उसके फैसलों में ही नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रियाओं और राजनीतिक दलों से समान रूप बनाए रखने में भी निहित है। इसलिए किसी भी पक्ष को विशेष राजनीतिक हैसियत के आधार पर अलग सुविधा देने के बजाय सभी के लिए निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना अधिक उचित है।

और देश के प्रति शत्रुता मेंअंतर समझना

आवश्यक है। सरकार की किसी नीति का विरोध करना राष्ट्रविरोध नहीं है, जैसे राष्ट्रीय हित की चिंता करना किसी नागरिक की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को सीमित करने का औचित्य नहीं बन सकता। अंततः लोकतंत्र की शक्ति न तो केवल सत्ता में निहित है और न ही केवल सड़क पर उतरने वाली भीड़ में। उसकी वास्तविक शक्ति नागरिक विवेक, संवैधानिक संस्थाओं की विश्‍वसनीयता और समाज की संवाद करने की क्षमता में है। किसी भी आंदोलन को सच्य से तीन प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए—क्या हमारा मुद्दा तथ्यपरक और जनहितकारी है? क्या हमारी पद्धति लोकतांत्रिक और अहिंसक है? क्या हमारे प्रयास से समस्या का समाधान निकलेगा या समाज में विभाजन और अविश्वास बढ़ेगा? केवल मुद्दा सही होना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए सही नेतृत्व, सही भाषा, सही पद्धति और सही लक्ष्य भी आवश्यक हैं। आंदोलन का उद्देश्य केवल किसी व्यवस्था को चुनौती देना नहीं, बल्कि उससे बेहतर व्यवस्था के निर्माण में योगदान करना होना चाहिए। जो आंदोलन समाज को विवेक, अनुशासन, न्याय और रचनात्मकता की दिशा देता है, वही इतिहास में स्थायी स्थान प्राप्त करता है। भारत का भविष्य ऐसे ही लोकतांत्रिक चिंतन में सुरक्षित है, जहां असहमति को सम्मान मिले, सत्ता जवाबदेह रहे, विपक्ष रचनात्मक बने और राष्ट्रहित का अर्थ नागरिक स्वतंत्रता तथा संवैधानिक मर्यादा के समन्वय में खोजा जाए।



के बीच का रिश्ता एक और संवैधानिक पैवीदारी पैदा करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले एसआईआर की जांच करते समय चुनावी ढांचे के अंदर योग्यता की जांच करने के आयोग के अधिकार को माना था, जिसमें नागरिकता से जुड़े सवाल भी शामिल थे। हालांकि, उस अधिकार को राष्ट्रीयता के बारे में अंतिम फैसला लेने की आम शक्ति नहीं समझा जाना चाहिए।

मेडिकल कॉलेज द्वारा गोद लिए गए ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में विशेष स्वास्थ्य जांच अभियान संचालित



ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के प्रधानाचार्य प्रो0 (डा0) आर0बी0 कमल के दिशा निर्देश पर कम्प्युनिटी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डा0 अनुज सिंह के नेतृत्व में कम्प्युनिटी मेडिसिन विभाग के चिकित्सक एवं

कर्मचारी द्वारा गोद लिए गए गांव के प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक के छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग का विशेष अभियान लगातार पिछले 7 दिनों से चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत विद्यालय में अध्ययनरत लगभग 600 बच्चों की आँख, नाक, दाँत एवं कुपोषण से संबंधित स्वास्थ्य जांच की गई।

फीनिक्स पलासियो में 11 से 20 अक्टूबर तक दुर्गा पूजो का उत्सव, बंगाली परंपराओं और संस्कृति के रंगों से सजा आयोजन

लखनऊ में 10 दिवसीय उत्सव के दौरान धाक, धुनुची नृत्य, बंगाली लोक प्रस्तुतियों, शास्त्रीय नृत्य और लाइव संगीत के जरिए दिखेगी बंगाल की सांस्कृतिक विरासत की झलक



ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ।लखनऊ के फीनिक्स पलासियो में शारद नवरात्रि के पहले दिन 11 अक्टूबर से दुर्गा पूजो का 10 दिवसीय उत्सव शुरू हो चुका है, जो 20 अक्टूबर तक चलेगा। इस आयोजन में भक्ति, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक मेलजोल के साथ मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। पारंपरिक पूजा और खास तौर पर तैयार किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बंगाल की समृद्ध परंपराओं को सामने लाया जा रहा है। 11 अक्टूबर को उत्सव की शुरुआत पारंपरिक धाक की थाप और धुनुची नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ हुई। इन प्रस्तुतियों ने बंगाल की परंपराओं और भक्ति से जुड़े उत्सव का माहौल बनाया। इसके बाद फीनिक्स पलासियो की ओर से दीप प्रज्वलन किया गया। इस शुभ शुरुआत के साथ मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया गया। उत्सव के तहत 16 से 18 अक्टूबर तक खास तौर पर तैयार किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में दिल्ली और कोलकाता के सांस्कृ को तिक समूह बंगाल की समृद्ध कला

और परंपराओं को लखनऊ के लोगों के सामने पेश करेंगे। 16 अक्टूबर को दिल्ली के नाट्य बंगाली ग्रुप की ओर से बंगाली लोक और शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके बाद शाम को कोलकाता के ममता मन्ना ग्रुप की ओर से रवींद्र संगीत और काजी नजरूल इस्लाम की रचनाओं से प्रेरित लोक संगीत पेश किया जाएगा। 17 अक्टूबर को पारंपरिक धाक की थाप और धुनुची नृत्य की लय से भरी प्रस्तुतियां होंगी। इसके बाद मयूरभंज छऊ नृत्य पेश किया जाएगा। कार्यक्रम में कोलकाता के कलाकारों की ओर से बाउल नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ हुई। इन प्रस्तुतियों ने बंगाल की परंपराओं और भक्ति से जुड़े उत्सव का माहौल बनाया। इसके बाद एक बंगाली लाइव बैंड की प्रस्तुति होगी, जिसमें आधुनिक बंगाली संगीत और पुराने दौर के लोकप्रिय गीत सुनने को मिलेंगे। तीन दिनों तक चलने वाला यह सांस्कृतिक कार्यक्रम बंगाल के संगीत, लय और कला की अलग–अलग शैलियों को एक साथ लाएगा और हर उम्र के लोगों को एक खास सांस्कृतिक अनुभव देगा।

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के आवास का संविदा और आउटसोर्स महिला एनएनएम कर्मियों ने किया घेराव

लखनऊ (आरएनएस)। संविदा और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत महिला एनएनएम कर्मियों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के राजभवन कॉलोनी स्थित आवास का घेराव किया। पिछले छह दिनों से लखनऊ में प्रदर्शन कर रही महिला कर्मियों ने आवास के बाहर सड़क पर बैठकर विरोध जताया। उनका आरोप है कि लगातार प्रदर्शन और कई बार ज्ञापन देने के बावजूद उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही है।[प्रदर्शनकारी महिला एएनएम कर्मियों ने सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने, समान काम के लिए समान वेतन देने और गृह जनपद में तैनाती की मांग की। महिला कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।[महिलाओं ने कार्यस्थल पर होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए विशाखा समिति गठित करने की भी मांग की। उनका कहना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनकी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जा सके।[प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने महिला कर्मियों को उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर से हटाकर ईको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शनकारी कर्मियों ने कहा कि वे पहले भी कई बार उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुकी हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ है।[महिला एएनएम कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगी।

जांच के दौरान जिन बच्चों में किसी बीमारी के लक्षण पाए जाने के संकेत मिले, उन्हें समुचित जांच एवं आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श हेतु मेडिकल कॉलेज जौनपुर की ओ0पी0डी0 में आने की सलाह दी गई। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रो0 (डा0) आर0बी0 कमल ने कहा कि बच्चों का स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ समाज की नींव है। महाविद्यालय द्वारा गोद लिए गए ग्रामों में इस प्रकार के स्वास्थ्य जांच अभियान का उद्देश्य बच्चों में बीमारियों की समय रहते पहचान कर उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पूरे स्वास्थ्य स्क्रीनिंग अभियान में डा0 मुदित चौहान, डा0 पूजा पाठक, डा0 नवीन कुमार, डा0 अनिल कुमार, डा0 आदर्श, डा0 अंकित कुमार एवं एम ० एस ० डब्लू ० रमाकान्त यादव, तथा एमबी0बी0एस0 बैब 2023 के छात्रों में देवेश गुप्ता, हेमन्त कुमार गौतम, महिमा चौधरी, मयंक पटेल, पुष्पमित्र द्विवेदी का विशेष योगदान रहा।

वेदांता के नंद घर ने पोषण

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 के समापन अवसर पर, वेदांता की सामाजिक प्रभाव इकाई अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की प्रमुख पहल नंद घर ने पोषण को परिवार और समुदाय की साझा प्राथमिकता बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। ‘नंद घर का मिशन, संपूर्ण पोषण’ के अंतर्गत आयोजित विभिन्न पहलों के माध्यम से नंद घर ने बच्चों, माताओं, पिताओं और समुदायों को एक साथ जोड़कर पोषण संबंधी जागरूकता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया।

नंद घर की सीईओ शशि अरोड़ा ने कहा हमारे चेंबरमैन श्री अनिल अग्रवाल का नंद घर के लिए दृ्ष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा बेहतर पोषण, शिक्षा और देखभाल के माध्यम से आगे बढ़े, साथ ही महिलाओं को स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के निर्माण के लिए सशक्त बनाया जाए। हमारा मानना ​​है कि कुपोषण की जड़ों से मुकाबला करने के लिए जागरूक और सक्षम माताएं, सहयोगी परिवार तथा अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के अवसर प्राप्त महिलाओं की आवश्यकता है। जब महिलाओं

के पास सही जानकारी, निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक अवसर होते हैं, तो इसका लाभ उनके बच्चों और पूरे परिवार तक पहुंचता है। भारत सरकार के पोषण अभियान 2. 0 के अनुरूप हमारा लक्ष्य पोषण को एक सतत सामुदायिक आंदोलन में बदलना है, जो नंद घर से लेकर देश के हर घर तक सकारात्मक बदलाव लेकर आए।

भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान 2.0 के तहत संचालित राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य परिवारों, समुदायों, फ़र्टिलाइज्ड कार्यक्रमों और संस्थाओं के सामूहिक सहयोग से पोषण को एक जन आंदोलन में बदलना है। इसी दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए, नंद घर का दृष्टिकोण केवल जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि घरों और समुदायों में व्यावहारिक एवं टिकाऊ पोषण संबंधी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। नंद घर आधुनिक और तकनीक—सक्षम केंद्रों के माध्यम से भारत के आंगनवाड़ी तंत्र को सशक्त बना रहा है, जहां पोषण, प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और महिला सशक्तीकरण को एकीकृत किया गया

पिता की जिंदगी बचाने के लिए बेटे ने घटाया 20 किलो वजन, अपोलोमेडिक्स में सफल लिवर ट्रांसप्लांट

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ। अपो लो मेडिक्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ में डॉक्टरों की विशेषज्ञ देखरेख में एक बेटे ने करीब चार महीने में 20 किलो वजन घटाकर अपने पिता को लिवर दान किया। लिवर सिरোসिस से जूझ रहे अंकुश सिंह (बदला हुआ नाम), को ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन उनके परिवार में कोई भी उपयुक्त डोनर उपलब्ध नहीं था। उनके 24 वर्षीय पुत्र लिवर डोनेट करने के लिए तैयार हुए। परन्तु उनका वजन लगभग 90 किलो से भी ऊपर था और शुरुआती जांच में पता चला कि उनके लिवर में ग्रेड–3 से भी अधिक फैट जमा है। डॉक्टरों ने उसे डोनर बनने के लिए अनुपयुक्त बता दिया। परिवार को कोई दूसरा ता का उत्सव मनाने और परिवारों व समुदायों के लिए यादगार पल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।” फीनिक्स पलासियो में दुर्गा पूजो का उत्सव 20 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान लोग मां दुर्गा की आराधना और पारंपरिक संगीत, नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए हमारा प्रयास लोगों को खरीदारी से आगे बढ़कर एक खास सांस्कृतिक अनुभव देना है। फीनिक्स में हम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विधि ता का उत्सव मनाने और परिवारों व समुदायों के लिए यादगार पल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” फीनिक्स पलासियो में दुर्गा पूजो का उत्सव 20 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान लोग मां दुर्गा की आराधना के साथ बंगाल की सांस्कृतिक परंपराओं और उत्सव के माहौल का अनुभव कर सकेंगे। इस पहल के जरिए फीनिक्स पलासियो ऐसे आकर्षक गंतव्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रहा है, जहां संस्कृति, परंपरा और साझा अनुभवों के जरिए लोग एक–दूसरे से जुड़ सकें। भक्ति से जुड़ा और बंगाल की जीवंत सांस्कृतिक विरासत से सजा यह उत्सव ऐसा माहौल तैयार कर रहा है, जहां सदियों पुरानी परंपराएं लखनऊ की आधुनिक जीवनशैली के साथ मिलकर एक यादगार अनुभव दे रही हैं।

श्री दुर्गा पूजा महासमिति के 48वें नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन सीआरओ अजय अंबष्ट एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने संयुक्तरूप से फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर किया

ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर।। जनपद की समस्त मां दुर्गा पूजन समितियों की एकीकृत संगठनात्मक शक्ति की केंद्रीय कमेटी श्री दुर्गा पूजा महासमिति जौनपुर के 48 वें नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन समारोह 13 अक्टूबर 2026 मंगलवार को सायंकाल का 8ः०0 बजे से नगर के कोतवाली चौराहा हनुमान मंदिर के सामने आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर अधिकारी अजय अम्बष्ट एवं विशिष्ट अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक नगर अनंत चंद्रशेखर व क्षेत्राधिकार नगर सम्यक चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। तदोपरान्त माता दुर्गा जी के समक्ष पूजन– अर्घन व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। प्रारम्भ मे भजन गायक रविंद्र सिंह, गुलाब राही आदि ने सुन्दर भजन की प्रस्तुति किया। इस मौके पर महासमिति के अध् यक्ष मनीष देवश्रमंगलश्र द्वारा मंचासीन अतिथियों को माल्यार्पण कर व मां की एवं स्मृति चिन्ह

देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर निर्णायक मण्डल सदस्य देवेश गुप्ता, वंशिका सिंह, विष्णु सहाय, गायत्री जायसवाल, डॉ योगेन्द्र प्रताप सिंह, सीमा चक्रवाल एवं प्रदीप सिंह को पद व गोपनीयता की शपथ मुख्य अतिथि सी. आर. ओ. अजय अम्बष्ट जी ने दिलाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासमिति के अध्यक्ष मनीष देव मंगल ने किया। कार्यक्रम में सभी का स्वागत व अभिन्दन महासचिव मनीष गुप्ता ने किया। कार्यक्रम को सम्बोधिात करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि श्री दुर्गा पूजा महासमिति के संघटनात्मक व्यवस्था व दुर्गा पूजा आयोजन मे महासमिति के महत्व का उल्लेख करते हुए पवित्र विसर्जन के लिए महासमिति के सुझाव पर सुन्दर, सुरक्षित व विसर्जन मे उत्कृष्ट व्यवस्था का आश्वासन दिया। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने पर्याप्त सुरक्षाबल उपलब्ध कराने एवं महासमिति के सुझाव पर यातायात नियंत्रण व सुरक्षा सुदृढ़ करने का आश्वासन कार्यक्रम मे दिया। कार्यक्रम मे अपने अध्यक्षीय उद्बोध

है। 18 राज्यों में 16,000 से अधिक नंद घरों के माध्यम से यह पहल 5 लाख से अधिक बच्चों और 4 लाख महिलाओं के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, जिससे बाल विकास को बढ़ावा मिल रहा है और समुदाय स्तर पर महिलाओं की भूमिका और निर्णय क्षमता मजबूत हो रही है।

स्वस्थ मां, स्वस्थ बच्चा— महिलाओं को पोषण के केंद्र में रखना

नंद घर का मानना ​​है कि किसी बच्चे का पोषण स्तर उसकी मां के स्वास्थ्य, ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता से गहराई से जुड़ा होता है। महिलाओं को संतुलित भोजन संबंध और आजीविका सुदृढ़ करने के अवसर प्रदान कर स्वस्थ परिवारों और बेहतर पोषण परिणामों का निर्माण किया जा सकता है।

पोषण माह के दौरान, पोषण विशेषज्ञ डॉ. वंदना वर्मा के साथ आयोजित विशेष सत्र सहित कई विशेषज्ञ–नेतृत्व वाली चर्चाओं ने माताओं और देखभालकर्ताओं को बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों, संतुलित आहार तथा दैनिक भोजन में पौष्टिक सामग्री को शामिल करने



के व्यावहारिक तरीकों के बारे में जानकारी दी। इन संवादों ने प्रश्नों के समाधान, अनुभव साझा करने और स्वस्थ खानपान अपनाने के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया।

मां की रसोई से बच्चों की थाली तक— पोषण को बनाना दैनिक अभ्यास

मदर्स फूड प्रिपरेशन प्रोग्राम स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की आदतों को बढ़ावा देता है और समुदाय की भागीदारी को मजबूत करता है। माताओं को भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में एक साथ जोड़कर यह कार्यक्रम ज्ञान साझा करने, स्वस्थ भोजन पकाने के तरीकों को प्रदर्शित करने और पोषण को सामूहिक जिम्मेदारी बनाने का अवसर

प्रदान करता है। अब तक इस कार्यक्रम से लगभग 2 लाख माताएं जुड़ चुकी हैं और इसके माध्यम से करीब 15 लाख भोजन परसे जा चुके हैं। यह बच्चों तक पौष्टिक भोजन पहुंचाने में सामुदायिक भागीदारी की शक्ति को दर्शाता है। भोजन उपलब्ध कराने के साथ–साथ यह पहल माताओं को अपने बच्चों की पोषण यात्रा में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित करती है, जिससे स्वस्थ आदतें नंद घर से निकलकर उनके घरों तक पहुंचती हैं। इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए, नंद घर की पोषण माह गतिविधियों ने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस संवाद में शामिल किया, ताकि यह संदेश सुदृढ़ हो सके कि स्थायी पोषण परिवर्तन बचपन से शुरू होता है और घर में सामूहिक प्रयासों से कायम रहता है।



बावजूद कोई दूसरा मैचिंग डोनर नहीं मिला। इसके बाद बेटे ने कहा, “बेटे ने अपने पिता की जान बचाने के लिए जिस तरह मेहनत की, वह काबिले तारीफ है। उसे और डाइट के असर का आकलन करने के लिए चार से पांच बार एमआरआई जांच की गई। धीरे–धीरे उसके लिवर की स्थिति में सुधार होने लगा। करीब चार महीने में उसने लगभग 20 किलो वजन घटाया और विस्तृत चिकित्सकीय मूल्यांकन के बाद उसे लिवर दान के लिए उपयुक्त पाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, उसने वजन घटाने के लिए किसी इंजेक्शन या दवा का इस्तेमाल नहीं किया। यह बदलाव विशेष डाइट, नियमित फॉलोअप और

चिकित्सकीय निगरानी के जरिए संभव हुआ। डॉ. अभिषेक यादव ने कहा, “बेटे ने अपने पिता की जान बचाने के लिए जिस तरह मेहनत की, वह काबिले तारीफ है। उसे और डाइट के असर का आकलन करने के लिए चार से पांच बार एमआरआई जांच की गई। धीरे–धीरे उसके लिवर की स्थिति में सुधार होने लगा। करीब चार महीने में उसने लगभग 20 किलो वजन घटाया और विस्तृत चिकित्सकीय मूल्यांकन के बाद उसे लिवर दान के लिए उपयुक्त पाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, उसने वजन घटाने के लिए किसी इंजेक्शन या दवा का इस्तेमाल नहीं किया। यह बदलाव विशेष डाइट, नियमित फॉलोअप और



सदस्य शशांक सिंह रानू , विजय सिंह बागी, राकेश श्रीवास्तव, लालचंद निषाद, अनिल साहू, विवेक सिंह, डॉ अतुल सिंह, आशीष गुप्ता प्रबन्धसमिति के विजय रघुवंशी, राहुल पाठक, रत्नेश सिंह, आशीष त्रिपाठी, धर्मेन्द्र गुप्ता,महेश जायसवाल, संजय विश्वकर्मा, चंदन यादव, सुमित उपाध् यक्ष, राजन अग्रहरि शैलेंद्र मिश्रा, चंद्रशेखर गुप्ता, संजय मोदनवाल, दीपक श्रीवास्तव,ज्ञानेंद्र दुबे,अमित गुप्ता, विष्णु गुप्ता, राम रतन विश्वकर्मा, धीरज गुप्ता, प्रिन्स तनेजा, रवि शर्मा, अभिषेक अग्रहरि, श्री पाल यादव, मयंक मिश्रा, रतनदीप, शिव

कुमार मौर्य, अरविन्द यादव, सर्वेश यादव, द्वारिकेश अग्रहरि, करण बिन्दध, महेंद्र अग्रहरि, नीरज श्रीवास्तव के साथ– साथ दुर्गा पूजा समिति लंगर समिति एवं सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों के साथ सम्मानित नागरिकगण एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन अविनन्द्र तिवारी ने किया एवं सभी के प्रति धन्यवाद व आभार रामप्रकाश यादव ने व्यक्त किया। उक्त जानकारी महासमिति के मीडिया प्रभारी दीपक श्रीवास्तव द्वारा प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध् यम से दिया गया।

साहबदीन राम सीताराम बालिका इंटर कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता एवं जागरूकता संगोष्ठी आयोजित



(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता) अयोध्या के तत्वावधान में, प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशन में तथा जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे) श्वेता साहू के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत साहबदीन राम सीताराम बालिका इंटर कॉलेज, शाहबगंज में निबंध प्रतियोगिता एवं विशेष जागरूकता संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या से जे.आर. एफ.डॉ. अजय सिंह, एवं जे.आर. एफ.डॉ. गोविंद ने प्रमुख रूप से प्रतिभाग किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या ममता निषाद, नीरज कुमार अस्सिस्टेंट कोऑर्डिनेटर भारतीय वन्यजीव संस्थान, विशाल कुमार गंगा प्रहरी एवं विद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।आयोजित निबंध प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सुनीता भारती ने प्रथम स्थान, अपशा बानो ने द्वितीय स्थान जबकि तन्ू सोनकर ने तृतीय स्थान हासिल किया। अंजली यादव शांति प्रजापति को सात्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जागरूकता संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डॉ. अजय सिंह ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्राओं को प्रदूषण के प्रमुख कारणों, उसके फैलने के तरीकों तथा मानव जीवन एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्वच्छता अपनाने और पर्यावरण, संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। वहीं, डॉ. गोविंद ने प्रदूषण के वैश्विक खतरों पर चर्चा

विधायक ने किया जीआईसी के नए मुख्य द्वार के निर्माण कार्य का निरीक्षण

विधायक निधि से खर्च होंगे 9.31 लाख रुपये,गुणवत्ता और समयबद्धता पर दिया जोर



(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर) अयोध्या।कोतवाली नगर क्षेत्र के फतेहगंज स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मुख्य द्वार का निर्माण कार्य नगर विधायक के निजी से कराया जा रहा है।जिसको लेकर बुधवार को नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने राजकीय इंटर कॉलेज जाकर हो रहे इस गेट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।इस मौके पर नगर विधायक श्री गुप्ता ने गेट का निर्माण कार्य कर

करते हुए कहा कि प्रदूषण के कारण पर्यावरण एवं जीव-जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। इन समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण संरक्षण के उपाय अपनाना आवश्यक है।जिला परियोजना अधिाकारी (नमामि गंगे) श्वेता साहू ने नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए नदियों की स्वच्छता एवं संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।जल प्रदूषण का सीधा प्रभाव मानव जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।इस मौके पर

कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित अधिकारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं ने स्वच्छता बनाए रखने, जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा नदियों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करने की शपथ ली।कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और गंगा सहित अन्य नदियों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना रहा।

अभियंत्रण विभाग, प्रखंड अयोध्या की ओर से कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज फतेहगंज जनपद का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है। मुख्य द्वार का निर्माण कॉलेज परिसर को बेहतर और सुरक्षित स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान भी यह इस गेट की चौड़ाई कम पड़ती थी। इसके बनने से आवागमन में सुविधा होगी।नगर वि्धायक ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और सभी निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए काम समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए।इस दौरान सुप्रीत कपूर सहित केन्द्रीय समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।

सुरक्षा से समाज सेवा तक निभा रहीं जिम्मेदारी चौकी प्रभारी मीरानघाट किरन पाल व महिला थाना परिसर मे तैनात सोनी व प्रिया

सुरक्षा के उपायों की जानकारी भी दी जा रही है।दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व के दौरान उनकी सक्रियता और बढ़ गई है।शाम होते ही महिला पुलिसकर्मी विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंचकर पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से महिला श्रद्धालुओं को जागरूक कर रही हैं। महिलाओं को सुरक्षा संबंधी उपाय बताने के साथ ही उन्हें किसी भी समस्या की स्थिति में पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।ख़ास बात यह है कि वर्दी की जिम्मेदारी निभाने के साथ ये महिलाएं अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करती हैं। कठिन ज़्युटी,अनियमित कार्य समय और पवों’ के दौरान अतिरिक्त जिम्मेदारियों के बीच उनका समर्पण बताता है कि महिला सशक्तीकरण केवल नारों तक सीमित नहीं, बल्कि कर्म और कर्तव्य से भी अपनी पहचान बनाता है।नवरात्रि के इस पावन अवसर पर महिला पुलिसकर्मियों का कार्य यही संदेश देता है कि शक्ति केवल पूजन का विषय नहीं, बल्कि समाज की रक्षा,पीड़ितों को सहारा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी है।।मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना के बीच वर्दी में तैनात ये महिलाएं सुरक्षा, संवेदना और सेवा के जरिए नारी शक्ति की सार्थक मिसाल पेश कर रही हैं।

नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व एसएसपी डॉ. गौरव गोवर ने हरी झंडी दिवाकर मिशन शक्ति फेस 6 के तहत रैली को किया खाना



अयोध्या। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मंगलवार को मिशन शक्ति फेज-6 के तहत पुलिस लाइन से भव्य पैदल मार्च निकाला गया।इस मौके पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और एसएसपी डॉ. गौरव गोवर किया।जो एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी व सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी के नेतृत्व में निकलकर पत्रकार चौराहा रिकाबगंज और हनुमानगढ़ी होते हुए

मिशन शक्तिप्रभारी चेतना पाण्डेय ने छात्राओं व शिक्षिकाओ को किया जागरूक



(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता) अयोध्या।बुधवार को दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व के को लेकर गोसाईगंज पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत स्कूल व कालेजों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओ व बेटियों को जागरूक

विभिन्न समस्याओ को लेकर प्रधान संघ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व मे प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से की मुलाकात



अयोध्या। बुधवार को प्रधान संघ अयोध्या के जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीएम शशांक त्रिपाठी से मुलाकात कर ग्राम पंचायतों की समस्याएं

उठाई।इसमें मनरेगा मजदूरों की

लंबित मजदूरी का भुगतान, वित्त आयोग से विकास कार्यों की स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्राथमिकता सूची और ग्राम पंचायतों

’नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत सेठ बाबूराम भारतीय इण्टर कालेज में शिक्षक रामाशीष यादव ने बच्चों को दिलाई शपथ’



‘रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव’ ‘पाली-(हरदोई)’ नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत करूबे के सेठ बाबूराम भारतीय इण्टर कॉलेज में बुधवार को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक रामाशीष यादव ने छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षक रामाशीष यादव ने कहा की

नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट करता है, बल्कि परिवार, समाज और देश की प्रगति में भी बाधक है। हमें अपने जीवन में नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। उन्होंने बच्चों से आवाहन किया कि वे नशे को ज्हाफ कहेें और अपने साथियों, परिवार व समाज में भी नशा मुक्ति जीवन का संदेश फैलाएं। ‘नशा मुक्त भारत का संकल्प’ नशा जीवन, परिवार

दी।महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमन पावर लाइन 1090, आपातकालीन पुलिस सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के बारे में जानकारी देकर जरूरत पड़ने पर इनकी मदद लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही छेड़छाड़, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और साइबर अपराध जैसी घटनाओं की शिकायत बिना किसी भय के पुलिस से करने की अपील की गई।बताते चले कि एसएसपी डॉ. गौरव गोवर के निर्देशन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को महिला संबंधी शिकायतों को संवेदनशीलता से सुनने और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।इस मौके पर,मनोज शर्मा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर,ट्रैफिक इंस्पेक्टर और मिशन शक्ति प्रकोष्ठ के पुलिस कर्मी मौजूद रही।

करंट की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवक की मौत

अयोध्या। थाना पटरंगा क्षेत्र में विद्युत करंट की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई है।मिली जानकारी के मुताबिक उक्त युवक जखौली गांव के समीप स्थित बिसलरी कंपनी में काम करता था।मृतक की पहचान बीकापुर थाना क्षेत्र के शेरपुर निवासी मन्नी शर्मा पुत्र उमा शंकर के रूप में हुई।मंगलवार को शाम काम खत्म करने के बाद अपने कसरे में चारपाई पर सो रहा था। आशंका है कि चारपाई से नीचे गिरने के दौरान टेबल फैन के संपर्क में उक्त युवक आ गया था।टेबल फैन में करंट उतरने के कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ‘जनपद के 55 विद्यालयों में भारतीय विद्यालय के छात्रों ने सीनियर वर्ग में द्वितीय और सब जूनियर वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त कर मारी बाजी



रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव’ ‘पाली-(हरदोई)’ 76 वीं विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर स्थान प्राप्त

किये। प्रतियोगिता में 55 विद्यालयों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।

23 अक्टूबर को अयोध्या में लगेगा परिवहन मेला,

एक ही स्थान पर मिलेंगी वाहन संबंधी सेवाएं

अयोध्या।संभागीय परिवहन कार्यालय अयोध्या में 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा।परिवहन आयुक्त के निर्देश पर आयोजित इस मेले में वाहन स्वामियों को परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि मेले में बकाया कर जमा करने, वाहन फिटनेस, परमिट नवीनीकरण, वाहन पंजीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण और चालान संबंधी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा वाहनों पर बकाया शास्ति जमा करने, नए वाहनों के पंजीकरण तथा ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।मेले में वाहन स्वामियों को परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं, ऑनलाइन सेवाओं और वाहन संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। जिन वाहन स्वामियों के फिटनेस या परमिट की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में भी सहायता मिलेगी।परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 23 अक्टूबर को आयोजित मेले में पहुंचकर अपने लंबित कार्यों का निस्तारण कराएं और विभागीय सेवाओं का लाभ उठाएं।

अपना स्कूल के स्थापना दिवस पर आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता) अयोध्या।अयोध्या के जयसिंहपुर वार्ड में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए संचालित निरुशुल्क अपना स्कूल के स्थापना दिवस एवं खाकी वाले गुरु जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रताप सेवा समिति के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।अयोध्या के पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में नियुक्त उपनिरीक्षक रणजीत यादव द्वारा अयोध्या के मलिन बस्ती जयसिंहपुर वार्ड में नवंबर 2021 से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य अपना स्कूल नाम की मुहिम चला कर किया जा रहा है।अपना स्कूल के पांचवें स्थापना दिवस पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में कुल 32 लोगों की हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी एसटीआई एचआईवी बीडीआरएल टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग करने के साथ ही डॉक्टर अशोक कुमार के निर्देशन में आए मरीजों को दवा देने का कार्य किया गया। प्रताप सेवा समिति की प्रबंधक रिकू सिंह व काउंसलर उमा कसौधन ने शिविर में उपस्थित महिलाओं को गर्भनिरोधक उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दिया। अपना स्कूल में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए ऋषभ शर्मा अंशिका सिंह विनय सिंह कुशवाहा राजन यादव इंद्र कुमार उपाध्याय व प्रताप सेवा समिति के सभी सदस्यों को अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया।आरक्षी आयुष सिंह का चयन उपनिरीक्षक पद पर होने पर अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करते हुए बधाई दिया गया।इस अवसर पर अपना स्कूल के मार्गदर्शक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह समाजसेवी अम्बरीश चंद्र पांडे इन्दर प्रीत सिंह बेदी आशीष कौर फोटोग्राफर विनय कुमार शीशम सफाई चार्ज अखिलेश कुमार सहित अपना स्कूल के सभी बच्चे उपस्थित रहे।

कैसरबाग पुलिस ने स्कूटी चोरी का किया खुलासा

लखनऊ, (संवाददाता)। कैसरबाग पुलिस ने स्कूटी चोरी की घटना का खुलासा करते हुए दो बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया है। उनके कब्जे से चोरी की गई काले रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों ने दूसरी स्कूटी की चाबी लगाकर उसका लॉक खोला और घूमने-फिरने के लिए उसे लेकर चले गए थे। सोमवार को स्कूटी वापस उसी स्थान पर खड़ी करने जाते समय पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।पुलिस के मुताबिक, लालबाग के खंदारी बाजार निवासी महेश शर्मा ने 11 सितंबर 2026 को स्कूटी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी तहरीर के आधार पर कैसरबाग थाने में मुकदमा संख्या 180६ 2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक	देश की उपासना
स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।	
सम्पादक	
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव	
मो0 – 7007415808, 9415034002	
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com	
समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।	